न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-528RAAJodhpur2022-320RTA225 Chenaram ors Vs Asuram etc

01. चेनाराम पुत्र श्री हरखाराम
02. जेठाराम पुत्र श्री हरखाराम
03. बींजाराम पुत्र श्री हरखाराम
04. आशाराम पुत्र श्री धोलाराम
05. पूनाराम पुत्र श्री धोलाराम
06. चुनी पत्नी श्री धोलाराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम पड़ासला, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर, वर्तमान फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. आसुराम पुत्र श्री रामुराम
2. नानकराम पुत्र श्री रामुराम
3. बाबुराम पुत्र श्री रामुराम
4. हुकमाराम पुत्र श्री रामुराम
5. चम्पा पत्नी श्री रामुराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम पड़ासला, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर, वर्तमान फलोदी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2021 आसुराम व अन्य बनाम चेनाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री सांगाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 15 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2021 आसुराम व अन्य बनाम चेनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 09 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 848/2 रकबा 3.7636 हैक्टेयर ग्राम पड़ासला में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 848/1 रकबा 2.9542 हैक्टेयर में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2022 के जरिये रेस्पोडेंट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांट्स की ओर से दिनांक 06.10.2021 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी प्रस्तुत कर अपीलांट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने का निवेदन किया, जिस प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई तथा न ही उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र का आदेशिका में अंकन किया। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार की गई तथा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट्स को सूचित ही नहीं किया गया। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मूल खसरा नं. 848 में से मौके पर रास्ता उपलब्ध है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स को परेशान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय खसरा नं. 848/2 के समस्त खातेदारों को पक्षकार संयोजित नही किया गया है, जिस कारण रेस्पोडेंट्स का प्रार्थना पत्र पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर भी खारिज योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या चार के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलाधीन रास्ते की लंबाई केवल 4.5 गट्ठा ही है तथा रास्ते के रूप में भूमि का रकबा केवल 0.12 बिस्वांशी ही आता है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट्स के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता पाया जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अन्य कोई लघुतम एवं निकटतम रास्ता नहीं है। मौका फर्द में उक्त रास्ते की दूरी मात्र 4.5 गट्टा बतायी गई है।

अपीलांट्स का उज है कि मूल खसरा नं. 848 से रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स द्वारा सुझाये गये विकल्प की दूरी अपीलाधीन रास्ते से अधिक है।

विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप निकटतम एवं लघुतम अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण द्वारा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तो की जांच बाद लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2022 यथावत रखा जाता है

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर